अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

''(1) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

(2) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

(3) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 5.12.2003 को पारित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003 और राज्य सभा द्वारा 8.12.03 को पारित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 तथा ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2003 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रमाकांत आंग्ले (मारमागाओ): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री दिलीप सिंह जूदेव का मंत्रि-परिषद से त्यागपत्र

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): इंडियन एक्सप्रेस के 16.11.2003 के दिल्ली संस्करण ने एक समाचार तथा वी.सी.डी. चित्र प्रकाशित किए जिनमें तत्कालीन केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री दिलीप सिंह जूदेव को उनके सहायक निजी सचिव श्री नटवर रतेड़िया की मौजूदगी में श्री राहुल नामक व्यक्ति से कथित रूप से पैसा लेते हुए दिखाया गया था। श्री दिलीप सिंह जूदेव ने अपना त्यागपत्र दे दिया जिसे मेरे सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा दिनांक 17.11.2003 को स्वीकार कर लिया गया। मेरे निर्देश पर मंत्रिमण्डल सचिवालय ने दिनांक 17.11.2003 को विभिन्न समाचार-पत्रों की समाचार कतरनों को समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया।

इंडियन एक्सप्रेस के उपर्युक्त समाचार तथा अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री जूदेव, उनके सहायक निजी सचिव श्री रतेड़िया तथा श्री राहुल जिन्हें आस्ट्रेलिया की एक खनन कंपनी का प्रतिनिधि बताया गया था, के विरुद्ध दिनांक 18.11.2002 को एक प्रारम्भिक जांच दर्ज कर ली।

किसी भी मामले में प्रारम्भिक जांच दर्ज करने या नियमित केस दर्ज करने अथवा आरोप-पत्र दायर करने के निर्णय केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा लिये जाते हैं। सरकार इन निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती। ...*(व्यवधान)*

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री जूदेव तथा श्री रतेड़िया, दोनों को नोटिस भी भेज दिए हैं कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष उपस्थित हों।

मेरी सरकार की यह नीति रही है कि भ्रष्टाचार से संबंधित सभी आरोपों की पूर्णतया जांच होनी चाहिए। ..(व्यवधान) तदनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है तथा जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

जैसाकि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है तथा, हाल में बनाए गए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अंतर्गत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की निगरानी सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निहित की गई है।

इसलिए जांच की स्वतंत्रता के बारे में कोई भय अथवा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सदन को आश्वासन देता हूं कि सच्चाई शीघ्र ही सामने आएगी और कानून अपना काम करेगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8201/2003]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सर जोगी से संबंधित मामले का क्या हुआ, उसके बारे में भी यहां कुछ आना चाहिए। ..(व्यवधान) जूदेव के मामले में स्टेटमैन्ट हो गया, लेकिन जोगी के मामले में कुछ नहीं हुआ। ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे चुके हैं और अब हम उनके वक्तव्य पर चर्चा करने वाले हैं।

..(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: हम जानना चाहते हैं कि जोगी के मामले में क्या हुआ। *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर एक चर्चा आरंभ करने वाले हैं। इस चर्चा के दौरान आप जो मुद्दे उठाना चाहें उठा सकते हैं। मुझे इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप इस चर्चा के दौरान कुछ अन्य मुद्दों पर ऐसे प्रश्न पूछना चाहें जो इस सदन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कार्य शेष है जिसे मैं अभी पूरा करना चाहता हूं। डा. रमैया।

अपराह्न 12.06 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

शीतल पेयों, फल के रस और अन्य पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट तथा उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा शीतलपेयों, फल के रस और अन्य पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट तथा उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय को बजट सत्र के आरंभ तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा शीतलपेयों, फल के रस और अन्य पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट तथा उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय को बजट सत्र के आरंभ तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।